

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद मथुरा में कोकिलावन मार्ग(अन्य जिला मार्ग) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.993 कि०मी०) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-1 कैम्प-1एस०ई०(पी)104-01नि०/2015-16, दिनांक 04-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में कोकिलावन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.993 कि०मी०) की आंकलित लागत रु० 1687.50 लाख (रूपये सोलह करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 338.00 लाख (रूपया तीन करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा	जनपद मथुरा में कोकिलावन मार्ग(अन्य जिला मार्ग) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 1.993 कि०मी०)	1687.50	338.00	266.00	72.00

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीओएलओए0 में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित

प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (11) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
 - (12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
 - (13) मूल्य ह्रास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
 - (14) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-8-1252/दस/2016, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

संख्या-158/2016/559(1)/23-11-2015-1/2(280)/2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, मथुरा।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।